कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0—8544412079
हाजीपुर, वैशाली—844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com

आदेश

अधोहस्ताक्षरी द्वारा हाल ही के दिनों में कई सारे विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। अधोहस्ताक्षरी एवं विभाग के द्वारा विभिन्न पत्राचार के माध्यम से विद्यालय के संचालन हेतु दिशा निर्देश निर्गत करने के बावजूद निरीक्षण के क्रम में विभिन्न प्रकार की कमियां पाई जा रही हैं, जो अत्यंत खेदजनक है। कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जिनका औचक निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा पिछले महीने में दो बार किया गया। प्रथम निरीक्षण में दिए गए दिशा निर्देश के बावजूद द्वितीय निरीक्षण के क्रम में कोई भी परिवर्तन या सुधारणात्मक प्रयास करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक नहीं पाए गए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को दी जा सके इसके लिए विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

विद्यालयों में निम्न कमियां/लापरवाही पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देते हुए दूर करने की आवश्यकता है जो निम्नवत है—

1.विद्यालयों में साफ सफाई की व्यवस्था।

2.विद्यालयों में शिक्षक विभागीय नियमानुसार कक्षा संचालन करें। निरीक्षण के क्रम में पाया जा रहा है कि वर्ग कक्ष में कुछ शिक्षक आराम से बैठकर मोबाइल पर वार्तालाप या आपस में वार्तालाप करते रहते हैं एवं कक्षा का संचालन नहीं करते हैं। कुछ शिक्षक उपस्थिति दर्ज करने के पश्चात विद्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो जाते है, जो शिक्षक के आचरण एवं शिक्षक की गरिमा के प्रतिकूल कार्य को दर्शाता है। शिक्षक को चाहिए कि वे अपने शिक्षक की गरिमा, दायित्वों को समझे एवं उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करें।

3.अधिकांश शिक्षक के द्वारा पाठ—टीका संधारित नहीं किया जा रहा है। कुछ शिक्षकों के द्वारा पाठ—टीका के नाम पर केवल और केवल खानापूर्ति की जा रही है,जो अत्यंत खेद का विषय है। सभी शिक्षक को स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि पाठ—टीका संधारित करेगे।

4.औचक निरीक्षण के क्रम में कुछ ऐसे भी विद्यालय पाए गए जो अपने मर्जी के अनुसार विद्यालय संचालन कर छात्रों के शिक्षा के अधिकार का हनन करते हुए विभागीय निर्देश के विपरीत छात्रों को अपराह्न 3:00 बजे ही छुट्टी दे रहे थे। इसे गंभीरता से लिया गया और ऐसे विद्यालय के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है।

5.निरीक्षण के क्रम मे अधिकांश विद्यालयों में विद्यालय का कैश बुक एवं विद्यालय के अन्य अभिलेख का संधारण नियमानुसार नहीं पाया गया।

6.अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण के क्रम में ऐसे भी उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया जिसमें एक ही कैंपस में 1—12 संचालित है या 6—12 तक संचालित है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कक्षा 9 से 12 के शिक्षक कक्षा 1 से 8 या कक्षा 6 से 8 का वर्ग कक्ष खाली होने के बावजुद उस कक्षा का संचालन नहीं करते हैं। सभी शिक्षक 1—12 एवं दोनों ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आदेश दिया जाता है कि एक दूसरे से आपस मे समन्वय बना के रखेंगे एवं सभी कक्षा का संचालन सभी शिक्षक मिलकर करेंगे।अन्यथा की स्थिति में कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

7.निरीक्षण के क्रम में कुछ ऐसे भी विद्यालय पाए गए जिसमें अभी भी नियोजित शिक्षक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के प्रभार में है। विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों का अवकाश HRMS के माध्यम से संधारित किया जाना है। उक्त के आलोक में वैसे

नियोजित शिक्षक जो वर्तमान में विद्यालय के प्रभार में को निर्देश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर नियमानुसार विद्यालय के नियमित शिक्षक (विशिष्ट शिक्षक प्रतिस्थापित नहीं रहने की स्थिति में विद्यालय अध्यापक) को संपूर्ण प्रभार (वित्तीय सहित) देना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके प्रखंडाधीन ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं रहे जिसमें नियोजित शिक्षक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर है। प्राथमिक विद्यालय इसका प्रतिवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को करेंगे एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,माध्यमिक शिक्षा को पदस्थापना विवरणी के साथ अभिलंब प्रतिवेदन उपलब्ध करेंगे।

सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक/शिक्षिका उपरोक्त दिए गए निर्देशों का अक्षशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ह०—

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली

ज्ञापांकः— 1127 हाजीपुर दिनांकः— 10/10/25

प्रतिलिपिः—सभी प्रधानाध्यापक/ शिक्षक/शिक्षिका जिला—वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला—वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

तिलिपिः— सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंड, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, वैशाली की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

10.10.25

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली

10.10.25